कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोवस्ती की आम सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत निम्नांकित सैरातो की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में दिनांक– 25.05.2015 को की जायेगी। दिनांक– 25.05.2015 को बन्दोवस्ती नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः 30.05.2015 को बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी। 30.05.2015 को भी बन्दोवस्ती नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः 04.06.2015 को बन्दोवस्ती की कार्रवाई समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में 11 बजे पूर्वाह्न में निम्नांकित शर्तो एवं बंधेजो पर की जायेगी।

सैरात में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत डाक के पूर्व जमानत के रूप में संबंधित अंचल नाजीर के पास जमा करना होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाकवक्ता को लौटा दी जायेगी। उच्चतम डाकवक्ता द्वारा जमा की गई जमानत की राशि बन्दोवस्ती राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

2. सैरातों की बन्दोवस्ती उच्चतम डाकवक्ता के साथ की जायेगी।
3. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की राशि एकमुस्त में डाक समाप्ति के पश्चात अंचल नजारत में जमा करना होगा अन्यथा बन्दोवस्ती रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. बन्दोवस्तधारी को बन्दोवस्ती के पश्चात निबंधित शुल्क, सरचार्ज एवं स्टाम्प शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा तथा निबंधन एकरारनामा दायर करना होगा।
5. सैरात बन्दोवस्ती की तिथि में परिवर्तन करना एवं बन्दोवस्ती स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
6. मेला–बाजार में वसूली जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा तथा राजस्व के सभी नियमों का पूर्णतः अनुपालन करना होगा अन्यथा बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी।
7. डाक वक्ता को निर्धारित तिथि पर आचरण प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।

क्र0	सैरात का नाम	अंचल का नाम	सुरक्षित जमा निर्धारित राशि रूपये में	जमानत की राशि 25 %
1	2	3	4	5
1	जम्होर बसंत पंचमी पशु मेला	औरंगाबाद	132250.00	33063.00
2	देव बाजार	देव	304175.00	76044.00
3	मदनपुर बाजार	मदनपुर	109825.00	27456.00

ह0/-
समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक– 875/रा0, दिनांक– 19.05.2015

प्रतिलिपि – आयुक्त मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – निदेशक जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार, पटना को कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक–25.05.2015 के पूर्व प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/दाउदनगर/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे आम जानकारी हेतु सूचनापट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि – जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित एवं परिचारित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि – सभी अंचल अधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि इसे आम जनता की जानकारी हेतु सूचना पट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय। बन्दोवस्ती के लिए उक्त निर्धारित तिथि को संबंधित सैरात अभिलेख एवं नाजीर रसीद के साथ नाजीर को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश निर्गत किया जाय।

ह0/-
समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

D:\Anu-\00362.doc